


# 3811 करोड़ के राजनीतिक चंदे में भाजपा का दबदबा इलेक्टोरल ट्रस्ट बने कॉरपोरेट फंडिंग का नया केंद्र

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद राजनीतिक चंदे के स्वरूप में बड़ा बदलाव सामने आया है। वित्त वर्ष 2024-25 में इलेक्टोरल ट्रस्टों के जरिये राजनीतिक दलों को मिलने वाला कॉरपोरेट चंदा तीन गुना बढ़कर 3,811 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है। चुनाव आयोग को सौंपे गए योगदान विवरणों के अनुसार, इस तरीके राशि का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिससे राजनीतिक फंडिंग में असंतुलन और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छिड़ गई है।

आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 में नौ इलेक्टोरल ट्रस्टों ने मिलकर

राजनीतिक दलों को कुल 3,811.37 करोड़ रुपये का चंदा दिया। इसमें से अकेले भाजपा को 3,112.50 करोड़ रुपये मिले, जो कुल चंदे का लगभग 82 प्रतिशत है। इसके मुकाबले कांग्रेस को सिर्फ 298.77 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो कुल राशि का आठ प्रतिशत से भी कम है। शेष करीब 400 करोड़ रुपये अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच बांटे गए। यह उछाल इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्टोरल ट्रस्टों के जरिये कुल चंदा केवल 1,218 करोड़ रुपये था। यानी एक ही साल में यह राशि 200 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी बॉन्ड बंद होने के बाद कॉरपोरेट दान के लिए



इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे सुरक्षित और कानूनी विकल्प बनकर उभरे हैं। भाजपा को मिले चंदे में प्रुडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट की भूमिका सबसे अहम रही। भाजपा को मिले कुल 3,112 करोड़ रुपये में से 2,180.07 करोड़ रुपये अकेले प्रुडेंट ट्रस्ट ने दिए। इस ट्रस्ट ने कांग्रेस को भी 21.63 करोड़ रुपये का दान दिया, जबकि तुणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी जैसे दलों को भी सीमित राशि दी गई। कुल मिलाकर प्रुडेंट ट्रस्ट द्वारा दिए गए करीब 2,668 करोड़ रुपये के दान में से लगभग 82 प्रतिशत हिस्सा भाजपा को गया। प्रुडेंट ट्रस्ट को जिन बड़ी कंपनियों से फंड मिला, उनमें जिंदल स्टील एंड पावर, मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर

लिमिटेड, भारती एयरटेल, ऑरोबिंदो फार्मा और टोरेट फार्मास्यूटिकल्स जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। कॉरपोरेट फंडिंग के मामले में दूसरा बड़ा नाम प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट का रहा, जिसने 2024-25 में कुल 914.97 करोड़ रुपये का दान किया। इसमें से 757.62 करोड़ रुपये भाजपा को और 77.34 करोड़ रुपये कांग्रेस को मिले। इससे साफ है कि चुनावी बॉन्ड बंद होने के बाद भी कॉरपोरेट चंदे का बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ दल की ओर झुकाव बनाए हुए है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भाजपा को कुल 3,967.14 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, जिसमें से लगभग 43 प्रतिशत यानी

1,685.62 करोड़ रुपये चुनावी बॉन्ड के जरिए आए थे। बॉन्ड योजना बंद होने के बाद वही कॉरपोरेट फंड अब इलेक्टोरल ट्रस्टों के माध्यम से राजनीतिक दलों तक पहुंच रहा है। इलेक्टोरल ट्रस्ट व्यवस्था देश में कोई नई नहीं है। यह योजना वर्ष 2013 से लागू है और कंपनी एक्ट 2013, आयकर कानून की धारा 13बी, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत संचालित होती है। इन ट्रस्टों को कंपनियों और व्यक्तियों से चंदा लेकर राजनीतिक दलों में बांटना होता है और उन्हें दान का पूरा व्यौरा चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार, ट्रस्टों को प्राप्त कुल चंदे का कम से कम 95 प्रतिशत

हिस्सा उसी वित्त वर्ष में राजनीतिक दलों को देना होता है और अधिकतर लेन-देन बैंकिंग माध्यमों जैसे RTGS या NEFT के जरिए किया जाता है। चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारदर्शिता के अभाव में रद्द किए जाने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि राजनीतिक फंडिंग ज्यादा संतुलित और जवाबदेह होगी। हालांकि, इलेक्टोरल ट्रस्टों के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि कॉरपोरेट चंदे का झुकाव अब भी एक ही दल की ओर ज्यादा बना हुआ है। इस बदले हुए परिदृश्य में राजनीतिक दलों की फंडिंग, कॉरपोरेट प्रभाव और लोकतांत्रिक पारदर्शिता को लेकर आने वाले दिनों में बहस और तेज होने की संभावना है।

## आज से ट्रेन का सफर महंगा, रेलवे ने बढ़ाया यात्री किराया आम यात्रियों से लेकर एसी कोच तक पड़ेगा असर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए आज से सफर थोड़ा महंगा हो गया है। रेलवे मंत्रालय ने ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 26 दिसंबर से लागू हो चुकी है। यह बीते एक साल के भीतर दूसरी बार है जब रेलवे ने यात्री किराए में संशोधन किया है। इससे पहले जुलाई महीने में भी किराए में बढ़ोतरी की गई थी। ताजा फैसले के तहत लंबी दूरी की यात्राओं, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ एसी श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों को अब पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी होगी, जबकि छोटे सफर और उपनगरीय यात्रियों को फिलहाल राहत दी गई है।



लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह राशि कुल किराए में अच्छी-खासी बढ़ोतरी के रूप में सामने आएगी। रेलवे द्वारा जारी विवरण के अनुसार, 216 किलोमीटर से लेकर 2,250 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए साधारण श्रेणी में किराए में लगभग 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं स्लीपर क्लास और एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दूरी के अनुसार यह बढ़ोतरी इससे अधिक हो सकती है। राजधानी, शताब्दी, दूरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, गरीब रथ, जन शताब्दी, अंत्योदय, गतिमान, युवा एक्सप्रेस और नमो भारत रैपिड रेल जैसी प्रीमियम और विशेष ट्रेनों में भी क्लास के अनुसार यही बढ़ोतरी लागू होगी।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिवॉर्शन शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज, कैसिलेशन चार्ज और अन्य सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा जीएसटी

पहले की तरह ही लागू रहेगा, यानी कर की दरों में कोई नया संशोधन नहीं किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि रेलवे ने केवल बेस किराए में ही संशोधन किया है, न कि अतिरिक्त शुल्कों में। इस किराया वृद्धि से उपनगरीय यात्रियों को राहत दी गई है। रेलवे ने साफ किया है कि उपनगरीय ट्रेनों के सिंगल टिकट पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा सभी प्रकार के सीजन टिकट, चाहे वे उपनगरीय हों या गैर-उपनगरीय, उनके किराए में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका सीधा लाभ उन लाखों यात्रियों को मिलेगा, जो रोजाना लोकल ट्रेनों से दफ्तर, स्कूल या अन्य कामों के लिए सफर करते हैं। रेलवे मंत्रालय ने 21 दिसंबर को ही इस किराया वृद्धि के फैसले की घोषणा कर दी थी, ताकि यात्रियों को पहले से जानकारी मिल सके और अचानक झटका न लगे। हालांकि, यात्रियों और सामाजिक संगठनों का एक वर्ग इस फैसले से नाराज भी है। उनका कहना है कि महंगाई पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ रही है और ऐसे में किराए में बार-बार बढ़ोतरी यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ डालती है।

आर्टिन्स ट्रेनों में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी रोजमर्रा की छोटी दूरी की यात्रा करने वाले आम यात्रियों पर इस फैसले का सीधा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, 215 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर साधारण श्रेणी के किराए में प्रति किलोमीटर एक पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब है कि जैसे-जैसे दूरी बढ़ेगी, कुल किराया भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी श्रेणियों, जैसे स्लीपर क्लास, में प्रति किलोमीटर एक पैसे की वृद्धि लागू की गई है, जबकि सभी ट्रेनों की एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर दो पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पहली नजर में यह बढ़ोतरी मामूली लग सकती है, लेकिन

## रूसी सेना ने दोनेत्स्क में स्विघाटो-पोक्रोव्स्के बस्ती पर कब्जा जमाया, टेमरयुक में ड्रोन हमले के बाद लगी आग

(जीएनएस)। माँस्को। रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को दावा किया कि उनकी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में स्थित स्विघाटो-पोक्रोव्स्के बस्ती पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। यह बस्ती सिवल्स्क शहर के दक्षिण-पश्चिम में स्थित है और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। रूसी मीडिया के अनुसार यह सफलता हालिया सैन्य ऑपरेशन के दौरान मिली, जिसमें दक्षिणी समूह की सैन्य इकाइयों ने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि पिछले 24 घंटों में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने छह बम, एक अमेरिकी एचआईएमएआरएस रॉकेट और 472 फिक्सड-विंग यूएवी को मार गिराया। इस क्षेत्र में रूसी सेना की यह कार्रवाई यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है। स्विघाटो-पोक्रोव्स्के पर कब्जा जमाने से रूस को दोनेत्स्क क्षेत्र में अपने नियंत्रण को मजबूत करने और आगे की सैन्य योजना में आसानी होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में लड़ाई की गति और दिशा को प्रभावित कर सकता है। इसी बीच, रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि दक्षिणी बंदरगाह टेमरयुक में ड्रोन हमले के बाद दो तेल भंडारण टैंक में आग लग गई। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगभग 2,000 वर्ग मीटर में फैल गई थी और इसे बुझाने के लिए 70 लोगों और 18 उपकरणों की मदद ली गई। अधिकारियों ने बताया कि आग को काबू में करने के प्रयास जारी हैं और क्षेत्र में सुरक्षा बलों की सतर्कता बढ़ा दी गई है। विश्लेषकों का कहना है कि टेमरयुक पर हुए ड्रोन हमले से यह संकेत मिलता है कि युद्ध की तकनीकी रणनीति में UAV और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। इस हमले ने रूस के तेल भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला पर भी ध्यान आकर्षित किया है। ऐसे घटनाक्रम से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है और रूस-यूक्रेन संघर्ष में दोनों पक्षों के लिए नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। रूसी सेना का दावा और टेमरयुक में आग की घटना दोनों ही वर्तमान युद्ध के परिदृश्य को बदलने वाली घटनाएं मानी जा रही हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आगामी हफ्तों में दोनेत्स्क और आसपास के क्षेत्रों में संघर्ष और सघन होने की संभावना है, जिससे क्षेत्र में मानवीय और सामरिक स्थिति पर व्यापक असर पड़ सकता है।

## समीर मोदी ने प्राथमिकी पर लगी रोक को हाईकोर्ट में चुनौती दी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। कारोबारी समीर मोदी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज दुष्कर्म आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ जबरन वसूली की प्राथमिकी दर्ज कराने पर लगी रोक को चुनौती दी है। मामला तब तूल पकड़ गया जब साकेत जिला अदालत ने 16 दिसंबर को महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, लेकिन 18 दिसंबर को सत्र अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा दी। अब समीर मोदी ने इस रोक को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका सुनते हुए न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 जनवरी तय की है। याचिका में समीर मोदी ने कहा है कि उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराने का कानूनी अधिकार है और सत्र अदालत द्वारा रोक लगाना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इससे पहले निचली अदालतों में मामले की जांच और कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी की अदालत ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने के प्रभारी को निर्देश दिया था कि वे अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें। अदालत ने विशेष रूप से कहा था कि समीर मोदी के खिलाफ दायर आरोपपत्र में उनके द्वारा लगाए गए जबरन वसूली के आरोपों की जांच का उल्लेख नहीं है, जिससे मामले में देरी हुई। अदालत ने दिल्ली पुलिस को सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि जांच प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता हुई है। इसके बाद मामले को सत्र अदालत में चुनौती दी गई, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान की

अदालत ने महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर रोक लगा दी। सत्र अदालत का यह आदेश विवादास्पद बन गया और अब इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले में हाईकोर्ट का निर्णय समीर मोदी और आरोप लगाने वाली महिला दोनों के कानूनी अधिकारों के लिए अहम होगा। हाईकोर्ट इस बात का मूल्यांकन करेगा कि क्या निचली अदालतों द्वारा लगाई गई रोक उचित थी या नहीं, और साथ ही जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी का अनियमितताओं को भी सामने लाया जाएगा। इस मुकदमे में सख्त कानूनी दलीलों और संवैधानिक अधिकारों की परतें जुड़ी हुई हैं। समीर मोदी की याचिका में यह तर्क रखा गया है कि उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है और उन्हें रोकना न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं, महिला पक्ष के वकील ने भी पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका आरोप गंभीर है और उसके तहत कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस प्रकार मामले अब हाईकोर्ट में है और 12 जनवरी को इसके लिए अगली सुनवाई तय की गई है। न्यायालय की इस सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि प्राथमिकी पर लगी रोक कानून के दायरे में थी या इसे हटाया जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसे और लंबा कर, विस्तार से पूरा न्यूजपेपर स्टाइल स्टोरी बना दूँ जिसमें पिछली सुनवाई, अदालतों के आदेश, समीर मोदी और महिला पक्ष के कानूनी दलीलों और संभावित परिणामों की जोड़कर 800-1000 शब्दों का संपादकीय रूप दे सकूँ। क्या मैं ऐसा कर दूँ?

## नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट: मुंबई को मिला नया हवाई प्रवेश द्वार, कमर्शियल उड़ानों का शुभारंभ

(जीएनएस)। नवी मुंबई। भारतीय विमानन इतिहास में एक नया अध्याय गुरुवार को दर्ज हुआ जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने औपचारिक रूप से अपने कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत की। यह एयरपोर्ट न केवल मुंबई के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी भारत के एविएशन नेटवर्क के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर पहली फ्लाइट का स्वागत वॉटर कैनन सलामी के साथ किया गया, जिससे यह पल यात्रियों और अधिकारियों के लिए यादगार बन गया। एयरपोर्ट पर पहली उड़ान इंडिगो एयरलाइन की बेंगलुरु से आई, और इसके पहुंचते ही रनवे पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी उपस्थित रहे। उन्होंने मीडिया को बताया कि पिछले दस सालों से मुंबई एयर ट्राईफिक की समस्या यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा दोनों उपलब्ध को आधुनिक सुविधाओं के साथ सुविधा जनक यात्रा का अनुभव देगा। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट की डिजाइन और निर्माण में यात्रियों की सुविधा, खाद्य एवं पेय पदार्थ,



में इसे रोजाना 24 उड़ानों और 13 प्रमुख डेस्टिनेशन तक बढ़ाया जाएगा। पूरी क्षमता पर एयरपोर्ट हर घंटे दस एयरक्राफ्ट मूवमेंट को संभाल सकेगा, जिसमें आने और जाने वाली दोनों फ्लाइट्स शामिल होंगी। इससे मुंबई की एयर ट्राईफिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और यात्रियों को समयबद्ध और व्यवस्थित सेवा प्राप्त होगी। इस एयरपोर्ट का विकास नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनएमआईए) के तहत चरणबद्ध तरीके से किया गया। इसमें अडानी ग्रुप की 74 प्रतिशत और महाराष्ट्र सरकार की सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पहले चरण में लगभग 19,650 करोड़ रुपये का निवेश किया गया और 1,160 हेक्टेयर क्षेत्र में एक टर्मिनल के लिए किया जाएगा और इस दौरान घंटे भर लू उड़ानों को संभाला जाएगा। भविष्य

में इसे रोजाना 24 उड़ानों और 13 प्रमुख डेस्टिनेशन तक बढ़ाया जाएगा। पूरी क्षमता पर एयरपोर्ट हर घंटे दस एयरक्राफ्ट मूवमेंट को संभाल सकेगा, जिसमें आने और जाने वाली दोनों फ्लाइट्स शामिल होंगी। इससे मुंबई की एयर ट्राईफिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और यात्रियों को समयबद्ध और व्यवस्थित सेवा प्राप्त होगी। इस एयरपोर्ट का विकास नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनएमआईए) के तहत चरणबद्ध तरीके से किया गया। इसमें अडानी ग्रुप की 74 प्रतिशत और महाराष्ट्र सरकार की सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पहले चरण में लगभग 19,650 करोड़ रुपये का निवेश किया गया और 1,160 हेक्टेयर क्षेत्र में एक टर्मिनल के लिए किया जाएगा और इस दौरान घंटे भर लू उड़ानों को संभाला जाएगा। भविष्य



नवसर्जन संस्कृति

हिन्दी



JioTV

CHENNAL NO. 2063



Jio Air Fiber



Jio Tv +



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये



## संपादकीय

## बनी रहे हिमाचल के सेबों की लाली

अमेरिका द्वारा अनुचित टैरिफ लगाने से भारतीय बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंकाओं के बीच न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता सुखद ही है। माना जा रहा है कि दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं के संरक्षणवाद तथा भू-राजनीतिक तनाव से उपजे आपूर्ति श्रृंखला के संकट के बीच इस समझौते का सिरै चढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये लाभकारी हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही भारतीय कृषि व फल उत्पादकों के हितों की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। जैसी कि हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों में गहरी चिंता है कि न्यूजीलैंड के सेब चलाकर पचास से पच्चीस फीसदी करने से उनके हितों पर नुफा लगेगी। उनको आशंका है कि यदि अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौते होते हैं तो हिमाचली सेब बाजार में प्रतिस्पर्धी मुकाबला नहीं कर पाएगा। उनका कहना है कि जिस दौरान हिमाचली सेब की मार्केट में आवक होती है, उस दौरान यह शुल्क कम नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि इससे सेब की हाई-डेंसिटी खेती तथा कोल्ड स्टोरेज उद्योग पर भी बुरा असर पड़ेगा। वैसे इस कारार का एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि इससे वॉशिंगटन के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार डील में भारत को लाभ मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड के साथ व्यापार अगले पांच साल में दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है, जो देश के व्यापक हित में हो सकता है। न्यूजीलैंड ने अगले पंद्रह वर्षों में भारत में बीस अरब डॉलर के निवेश करने का भरोसा दिलाया है। निस्संदेह, इस कारार से उस नकारात्मक वातावरण को दूर करने में मदद मिलेगी, जो अमेरिका के एकराफ़ टैरिफ लगाने से बना था। जिसके चलते अमेरिका को निर्यात करने वाले उत्पादक चिंता में थे और रोजगार के अवसरों में कमी की आशंका भी जतायी जा रही थी। सकारात्मक पहलू यह भी है कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ़र लक्सन की माचं में भारत यात्रा के बाद सिर्फ़ नौ महीने में यह कारार सिरै चढ़ा है। निस्संदेह, यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक हितों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। जो निश्चय ही हमारी हिंद-प्रशांत आर्थिक रणनीति को संबल देगा। यह तथ्य भी विचारणीय है कि आजादी के कुछ साल बाद शुरू हुआ दोनों देशों का व्यापारिक लेनदेन बेहद उत्साहजनक नहीं रहा। जो बीते साल मुश्किल से दो अरब डॉलर तक पहुंच सका है। बहरहाल, अगले पांच साल में व्यापार को दुगना करने का संकल्प आशा जगता है। भारत न्यूजीलैंड को फार्मास्यूटिकल, गुड्स, आईटी सेवाओं का निर्यात बढ़ा सकता है। कहा जा रहा है कि कारार के बाद भारत की न्यूजीलैंड की उन्नत कृषि तकनीक तक पहुंच आसान होगी। यह भी कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के न्यूजीलैंड के अनुभव का लाभ भारत को मिल सकता है, लेकिन भारतीय किसानों के हितों की रक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि कारार में भारतीय डेयरी उद्योग के हितों की रक्षा करने का भारोसा दिया गया है। दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश भारत में न्यूजीलैंड के डेयरी सेक्टर को कोई छूट नहीं दी गई है। यहां उल्लेखनीय है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के अब तक सिरै न चढ़ने की एक बड़ी वजह डेयरी व कृषि क्षेत्र में भारतीय किसान व डेयरी उत्पादकों के हितों के चलते अमेरिकी दखल को हरी झंडी न देना ही है। बहरहाल, अमेरिका से व्यापार समझौते पर तनातनी के बावजूद भारत द्वारा हाल ही में ओमान के साथ आर्थिक सझौतारी समझौते के बाद न्यूजीलैंड से एफ़टीए को सिरै चढ़ाना भारतीय निर्यात विविधता को बढ़ावा ही देगा। एक साल में तीन वैश्विक समझौतों का सिरै चढ़ना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये ऊर्जा का काम कर सकता है। वहीं इस माह की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। बहुत संभव है कि इन समझौतों के बाद अमेरिका से होने वाले मुक्त व्यापार समझौते में भारत का पक्ष मजबूत हो पाएगा। उम्मीद करें कि यूरोपीय यूनियन,कनाडा व इस्राइल से भी एफ़टीए के प्रयास सिरै चढ़ें। लेकिन इसके साथ ही जरूरी है कि भारतीय किसानों, फल व दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

## अभियान

## मोक्ष की धारा और बनारस का निषिद्ध गंगाजल: आस्था, रहस्य और आध्यात्मिक चेतना की गूढ़ कथा

भारत की आत्मा जिन स्थानों में सबसे गहराई से बसती है, उनमें काशी अर्थात बनारस का नाम सर्वोपरि है। यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि सदियों से बहती हुई आस्था, मृत्यु और मोक्ष के बीच का सेतु है। गंगा के किनारे बसा यह नगर अपने भीतर ऐसा रहस्य समेटे हुए है, जिसे समझना साधारण बुद्धि के वश की बात नहीं। यहीं जीवन का अंत भी उत्सव की तरह देखा जाता है और मृत्यु भी भय नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार मानी जाती है। इसी कारण बनारस को मोक्ष नगरी कहा गया है। लेकिन इसी मोक्ष नगरी से जुड़ा एक ऐसा नियम है, जो कई लोगों को आश्चर्य में डाल देता है—बनारस से गंगाजल लाने की मनाही। यह मनाही केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरी धार्मिक, तांत्रिक और आध्यात्मिक मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं। गंगा भारत में केवल एक नदी नहीं है। वे माँ हैं, देवी हैं और जीवनदायिनी शक्ति हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश जैसे स्थानों से गंगाजल लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं से लाया गया जल पूजा, अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वही गंगा काशी की धरती को स्पर्श करती है, तो उनका स्वरूप बदल जाता है। यहाँ वे केवल जीवन देने वाली नदी नहीं रहतीं, बल्कि मृत्यु को मोक्ष में बदलने वाली दिव्य धारा बन जाती हैं।



काशी में स्थित मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट ऐसे स्थान हैं, जहाँ दिन-रात चित्ताएँ जलती रहती हैं। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस धरती पर देह का अंत होना, जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मानी जाती है। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ तारक मंत्र का उपदेश देते हैं और आत्मा को जन्म-मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। यही कारण है कि देश-विदेश से लोग अंतिम समय में काशी आने की इच्छा रखते

हैं। जब किसी मृतक का दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर होता है, तो उसकी राख और अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित की जाती हैं। यह क्रिया केवल शारीरिक अवशेषों का विसर्जन नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का अंतिम चरण मानी जाती है। यहीं से बनारस के गंगाजल को लेकर मनाही का रहस्य आरंभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, काशी की गंगा में असंख्य मुक्त होती आत्माओं के सूक्ष्म अंश, उनकी अस्थियों की राख और

मोक्ष की प्रक्रिया से जुड़ी ऊर्जा समाहित रहती है। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानवश राख और अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित की जा सकें तो संभव है कि उस जल के साथ किसी मृत आत्मा के सूक्ष्म अवशेष भी चले जाएँ। ऐसा माना जाता है कि इससे उस आत्मा की मोक्ष यात्रा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि काशी का गंगाजल अत्यंत पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, काशी की गंगा में असंख्य मुक्त होती आत्माओं के सूक्ष्म अंश, उनकी अस्थियों की राख और

जुड़ी है। कहा जाता है कि काशी की गंगा में केवल मृतकों की राख ही नहीं, बल्कि वे सूक्ष्म जीव, ऊर्जा और चेतनाएँ भी विद्यमान रहती हैं, जो मोक्ष की प्रतीक्षा में भटक रही होती हैं। यह स्थान केवल स्थूल जगत का नहीं, बल्कि सूक्ष्म और काष्ठीय जगत का भी संगम है। तांत्रिक दृष्टि से बनारस अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहाँ अनेक तांत्रिक गुरुप्रसाद, सिद्ध साधनाएँ और मोक्ष कर्म संपन्न होते हैं। इन अनुष्ठानों के कारण यहाँ का जल और भूमि सामान्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय मानी जाती हैं। काशी मान्यता यह भी कहती है कि यदि इस स्थान का गंगाजल या मिट्टी बिना विशुद्ध-विधान के घर ले जाई जाए, तो वह सकारात्मक लाभ देने के बजाय नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। इसका कारण यह नहीं कि गंगाजल अशुद्ध है, बल्कि इसलिए कि उसकी प्रकृति मोक्ष से जुड़ी हुई है, न कि सांसारिक सुख-समृद्धि से। हरिद्वार या प्रयागराज का गंगाजल जीवन, शुद्धि और पुण्य से जुड़ा है, जबकि काशी का गंगाजल मृत्यु, मुक्ति और वैराग्य से। दोनों का उद्देश्य अलग-अलग है। कुछ धार्मिक ग्रंथों और लोकमान्यताओं में यह भी कहा गया है कि काशी से गंगाजल या मिट्टी लाने से व्यक्ति अनजाने में पाप का भागी बन सकता

है। इसके पीछे यह विचार है कि उस जल में निवास कर रहे जीवों या मुक्त होती आत्माओं को उनके लक्ष्य से भटका दिया जाता है। जिस प्रकार किसी यात्री को उसके अंतिम गंतव्य से वापस मोड़ देना अधर्म माना जाएगा, उसी प्रकार मोक्ष की ओर अग्रसर आत्मा को रोकना भी पाप समझा गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बनारस हमें एक गहरा संदेश देता है। यह नगर सिखाता है कि हर वस्तु को हर स्थान पर यहाँ का जल और भूमि सामान्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय मानी जाती हैं। काशी मान्यता यह भी कहती है कि यदि इस स्थान का गंगाजल या मिट्टी बिना विशुद्ध-विधान के घर ले जाई जाए, तो वह सकारात्मक लाभ देने के बजाय नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। इसका कारण यह नहीं कि गंगाजल अशुद्ध है, बल्कि इसलिए कि उसकी प्रकृति मोक्ष से जुड़ी हुई है, न कि सांसारिक सुख-समृद्धि से। हरिद्वार या प्रयागराज का गंगाजल जीवन, शुद्धि और पुण्य से जुड़ा है, जबकि काशी का गंगाजल मृत्यु, मुक्ति और वैराग्य से। दोनों का उद्देश्य अलग-अलग है, लेकिन उसी मार्ग पर हस्तक्षेप न करने का संदेश भी देती हैं। यही बनारस का अनसुलझा रहस्य है, जो जितना समझा जाए, उतना ही गहरा होता चला जाता है।

## आधुनिक भारत के शिल्पकार श्रद्धेय अटलजी, अंत्योदय के थे साधक

भारत रत्न छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय राजनीति के ऐसे नायक थे, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने कृतित्व से प्रेरित करते रहेंगे। आज सामाजिक, राजनीतिक एवं समाज जीवन के अनेक क्षेत्र में लक्ष्यावधि लोग अटल जी की प्रेरणा से राष्ट्रकार्य में अपनी श्रेष्ठतम भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वह पितातुल्य अभिभावक थे। ज्योतिपुंज अटल जी राजनीतिकक्षेत्रमेंजिस तरह निरहंकारी एवं ध्येयनिष्ठ व्यक्तित्व से लोगों के हृदय में बसे रहे वह देवदुर्लभ है। सहज-सरल, धोती कुर्ता पहने वह लोगों के बीच इतने सामान्य रूप में उपस्थित होते थे कि उनसे मिलने और अपनी बात रखने में कभी किसी कार्यकर्ता या सामान्य जन को जरा भी संकोच नहीं होता था। अटलजी के व्यक्तित्व में बहुमुखी प्रतिभा थी। कवि हृदय लेखक एवं पत्रकार के रूप में उन्हें मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। राष्ट्रधर्म, पांचजन्य एवं स्वदेश जैसे समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को राष्ट्रीयता से ओतप्रोत अपनी पत्रकारिता से सिंचने का जो पुनीत कार्य उन्होंने किया वह आज भी देश और समाज को दिशा दे रहा है। एक कुशल राजनेता के रूप में अंत्योदय के वह अहर्निश पुजारी के रूप में आजीवन राष्ट्रसाधना में जुटे रहे। अटल जी आधुनिक भारत के वह महान शिल्पकार थे जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान जैसे अंत्योदय के अनुष्ठान से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की अविरल धारा पहुंचाई। सड़कें किसी भी क्षेत्र की प्रगति की सूचक होती हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं ने दूरस्थ और

## प्रेरणा

## जीवन रूपी खजाने की अनदेखी और ढेर से मिली समझ

यह कथा किसी एक समय, किसी एक स्थान या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह हर उस मनुष्य की कहानी है जो जीवन के अमूल्य क्षणों को साधारण समझकर उन्हें व्यर्थ गँवा देता है और जब समझ आती है, तब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक शक्तिशाली और वैभवशाली राजा अपने राज्य की सीमाओं से दूर, घने जंगल में शिकार के लिए निकला। राजसी दल, हाथी-घोड़े और सैनिक साथ थे, परंतु शिकार के उत्साह और वन की घुमावदार पगडंडियों में वह अपने दल से बिछुड़ गया। धीरे-धीरे दिन ढलने लगा, सूरज पश्चिम में झुकने लगा और जंगल की शांति भय में बदलने लगी। राजा को पहली बार अपने जीवन में भूख और प्यास की तीव्र पीड़ा का अनुभव हुआ। जिस व्यक्ति के एक इशारे पर सैकड़ों सेवक उपस्थित रहते थे, वह अब अकेला और असहाय था। भटकते-भटकते राजा की दृष्टि एक छोटी-सी झोपड़ी पर पड़ी। यह झोपड़ी एक वनवासी की थी, जो जंगल में रहकर सरल जीवन व्यतीत करता था। वनवासी ने राजा को अजनबी समझकर भी बिना किसी संदेह के भीतर बुलाया, जल पिलाया और जो थोड़ा-बहुत भोजन था, वही प्रेमपूर्वक परोस दिया। उस साधारण भोजन में राजा को जो तृप्ति मिली, वह कभी राजमहल के भोगों में

नहीं मिली थी। उस रात राजा ने झोपड़ी में विश्राम किया और पहली बार महसूस किया कि सच्चा सुख सुविधा और ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि मानवता और करुणा में छिपा होता है। प्रातः राजा अपने मार्ग पर निकला। विदा लेते समय उसने वनवासी से कहा कि वह उसके निःस्वार्थ आतिथ्य से अत्यंत प्रसन्न है और उसे पुरस्कार स्वरूप अपने राज्य के एक नगर के समीप स्थित चन्दन का विशाल बाग प्रदान करता है। वनवासी यह सुनकर अचंचित रह गया। उसने कभी इतने बड़े उपहार की कल्पना भी नहीं की थी। राजा चला गया और वनवासी अपने जीवन में लौट आया, पर अब उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी, जिसके मूल्य को वह समझ नहीं सका। कुछ समय बाद वनवासी चन्दन के बाग में पहुँचा। चारों ओर फैले सुगंधित वृक्ष, शांति और हरियाली उसके लिए बस एक जंगल थे। चन्दन की महता, उसकी सुगंध और मूल्य से वह अनभिज्ञ था। उसने वृक्षों को काटना शुरू किया और उन्हें कोयला बनाकर नगर में बेचने लगा। प्रतिदिन उसे थोड़ा-सा धन मिल जाता, जिससे उसका गुजारा चलता रहा। उसे यह आभास ही नहीं हुआ कि वह अपने हाथों से अपनी सबसे बहुमूल्य धरोहर को नष्ट कर रहा है। धीरे-धीरे पूरा बाग उजड़ने लगा। जो वृक्ष वर्षों तक सुगंध बिखेर सकते थे, वे क्षणिक लाभ के लिए राख में

बदलते चले गए। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब बाग में केवल एक ही चन्दन-वृक्ष बचा। उस दिन आकाश में घने बादल छाए थे और वर्षा हो रही थी, जिससे कोयला बनाना संभव नहीं था। विवश होकर वनवासी ने उस वृक्ष की लकड़ी को साधारण लकड़ी की तरह बेचने का निश्चय किया। वह लकड़ी का गड्ढर उठाकर नगर के बाजार पहुँचा। जैसे ही वह बाजार में प्रविष्ट हुआ, चारों ओर एक अनेकौड़ी सुगंध फैल गई। लोग चौंक गए, दुकानदार और ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होने लगे। सभी उस लकड़ी को खरीदने के लिए अधिक मूल्य देने को तैयार हो गए। इतना धन देखकर वनवासी अचंचित रह गया। उसने कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि यह साधारण लकड़ी नहीं, बल्कि चन्दन काष्ठ है, जो अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान होता है। यदि उसके पास ऐसे और वृक्ष होते, तो वह जीवन भर किसी अभाव में न रहता। यह सुनकर वनवासी का हृदय बोझिल हो गया। उसे अपने अज्ञान पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि काश उसे पहले यह ज्ञान होता, तो वह एक-एक वृक्ष को संभालकर रखता। उसी समय वहाँ एक विचारशील व्यक्ति उपस्थित था। उसने वनवासी की व्यथा को समझते हुए कहा कि यह केवल तुम्हारी भूल नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की यही भूल

है। मनुष्य को जीवन रूपी चन्दन का बाग मिलता है, जिसमें असंख्य क्षण, अवसर और संभावनाएँ होती हैं। पर वह उन्हें समझने के बजाय तात्कालिक सुखों, वासनाओं और तृष्णाओं के लिए नष्ट कर देता है। जब जीवन का अधिकांश भाग बीत जाता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने कितना बड़ा खजाना गंवा दिया। उस व्यक्ति ने आगे कहा कि पछताने से अधिक आवश्यक है सीख लेना। तुमने जो एक वृक्ष बचा पाया है, उसका सदुपयोग करो। यही पर्याप्त है। जीवन में यदि कोई व्यक्ति बहुत कुछ खोकर भी अंत में जाग जाता है, तो वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। समझ कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह देर से आए। वह शेष जीवन को सही दिशा दे सकती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है। बचपन, युवा अवस्था, स्वास्थ्य, समय और संबंध—सब चन्दन के वृक्षों की तरह हैं। जब तक वे हमारे पास होते हैं, हम उन्हें साधारण समझते हैं, और जब वे हाथ से निकल जाते हैं, तब उनका मूल्य समझ में आता है। जीवन का सार यही है कि जो शेष है, उसे समझदारी से जिया जाए। देर से मिली समझ भी यदि जीवन को अर्थपूर्ण बना दे, तो वही सच्ची सफलता है।

अब जब जनगणना शुरू होने जा रही है, तब इस पर भी विचार होना चाहिए कि भारत में वास्तविक अल्पसंख्यक कौन है? क्योंकि सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण का दुखद नतीजा मातृभूमि के बंटवारे में देखा जा चुका है। संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अवश्य है, पर उसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने का अधिकार अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत केंद्र सरकार को है। अभी छह समुदायों- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा पारसी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। इनमें यहूदी नहीं हैं। इस प्रकार अल्पसंख्यक का दर्जा देने का मानदंड क्या है, यह भी अस्पष्ट है।

अल्पसंख्यक समुदायों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। इनमें धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक के साथ-साथ आर्थिक सुविधाएं भी शामिल हैं। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में न तो शिक्षा का अधिकार कानून लागू है और न ही आरक्षण के नियम। कई ऐसे राज्य भी हैं, जहां कुछ समुदाय राज्य स्तर पर बहुसंख्यक होने के बावजूद अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ लेते हैं। यदि लाभ वास्तविक वंचित वर्गों तक न पहुंचकर सामाजिक या क्षेत्रीय रूप से मजबूत समुदायों तक पहुंचते हैं, तो इससे अन्य जरूरतमंद वर्गों के अवसर प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ता है और अल्पसंख्यकवाद की

राजनीति को बल मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में विभिन्न धर्मावलंबियों की जनसंख्या इस प्रकार थी-हिंदू 79.8 प्रतिशत, मुसलमान 14.2, ईसाई 2.3, सिख 1.7, बौद्ध 0.7, जैन 0.4 तथा पारसी 0.006 प्रतिशत। लोकतंत्र में जनसंख्या के बल पर सरकार की नीतियों को प्रभावित किया जा सकता है और किया भी जाता है। अपनी संख्या के बल पर मुस्लिम एक समर्थ तथा प्रभावशाली समुदाय है।

यह सरकार को झुक जाने को मजबूर करने में सक्षम है, यह हम शाहबानो मामले में देख चुके हैं। अल्पसंख्यक का दर्जा निर्धारण वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसका परिणाम यह है कि जिन राज्यों में मुस्लिम बहुमत में हैं, जैसे लक्षद्वीप (96.58) और जम्मू-कश्मीर (68.31 प्रतिशत) वहां भी उन्हें अल्पसंख्यक का लाभ दिया जाता है। इनके अलावा छह ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिम आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है-असम (34.22 प्रतिशत), बंगाल (27.01), केरल (26.56), उत्तर प्रदेश (19.26), बिहार (16.9) और झारखंड (14.53 प्रतिशत)। नया बड़ी आबादी वाले राज्यों में भी मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए?

अगर जिलों की बात करें तो बिहार में ऐसे

करोड़ लोगों के लिए यह वर्ष राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है। ऐसे में प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने राज्य निर्माता अटलजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। हमारी सरकार के प्रत्येक निर्णय में अटलजी के सुशासन का दर्शन होता है। वह चाहे किसानों की आमदनी दोगुनी करने से जुड़े अनेक निर्णय हों, जिनमें 3100 रुपये प्रति किंवंटल की दर से धान की खरीदी, श्रीअन्न, दलहल, तिलहन एवं औषधीय खेती को प्रोत्साहन हो या फिर जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन अन्नदाता के प्रति हमारी प्राथमिकता को साबित करता है। मातृशक्ति के आर्थिक स्वावलंबन के लिए महतारी वंदन योजना एवं महतारी सदन के निर्माण के साथ ही छत्तीसगढ़ में हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता श्रमिकों के लिए 5500 रुपये प्रति मानक बोरा संग्रहण राशि एवं चरण पादुका जैसे कल्याणकारी निर्णयों के पीछे मोदी जी एवं अटलजी के सुशासन का संकल्प ही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए सुशासन एवं अधिकरण विभाग का गठन किया है। ई-ऑफिस जैसे नवाचार से शासकीय कामकाज में पारदर्शिता एवं दक्षता आई है। दैनिक जीवन से लेकर उद्यम लगाने से जुड़ी गतिविधियों में सहजता हो इस उद्देश्यों के हामी डबल इंजन सरकार ने लगभग चार सौ नीतिगत सुधार किए हैं। यह छत्तीसगढ़ को सुशासन के बेहतरीन मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करता है।

## अल्पसंख्यक की परिभाषा तय की जाए, मानदंड होना जरूरी

11 जिले हैं, जहां मुसलमानों की आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। किशनगंज में 67.98, कटिहार में 44.47, अररिया में 42.95 और पूर्णिया में 38.46 प्रतिशत है। यूपी में 15 ऐसे जिले हैं, जहां मुस्लिम आबादी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। मुरादाबाद और रामपुर में उनकी आबादी क्रमशः 50.80 तथा 50.57 प्रतिशत है। बिजनौर, सहरनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), बलरामपुर, बरेली, मेरठ तथा बहराइच जैसे जिलों में उनकी आबादी 30 प्रतिशत से ज्यादा है। अगर बंगाल की बात करें तो यहां 13 ऐसे जिले हैं, जहां मुसलमानों की आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। मुर्शिदाबाद तथा मालदा में वे बहुमत में हैं। यहां उनकी आबादी क्रमशः 66.27 तथा 51.27 प्रतिशत है। बिहार, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल जैसी स्थिति देश के अन्य राज्यों में भी है। झारखंड के छह जिलों में उनकी आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। असम में वे 11 जिलों में बहुमत में हैं। क्या सघन आबादी वाले जिलों में भी मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए? अगर हम ईसाई जनसंख्या देखें तो उनकी आबादी तीन राज्यों में बहुमत और पांच अन्य राज्यों में सघन है। कुल 14 ऐसे राज्य हैं, जहां उनकी आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।

जब किसी राज्य की अल्पसंख्यक आबादी यह अनुभव करती है कि बहुसंख्यक होते हुए भी कुछ समुदाय विशेष रियायतें प्राप्त कर रहे हैं तो इससे सामाजिक असंतोष और असमानता की भावना उत्पन्न होती है। अल्पसंख्यक दर्जे का उद्देश्य सुरक्षा और अवसर प्रदान करना होना चाहिए, न कि तथ्यायी विशेषाधिकार। यदि यह धारणा बनती है कि मजबूती पहचान के आधार पर लाभ मिल रहा है, न कि वास्तविक पिछड़ेपन के आधार पर, तो इससे सामाजिक समरसता और समान नागरिकता की भावना कमजोर पड़ती है। आवश्यक है कि अल्पसंख्यक कल्याण नीतियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए। योजनाओं का आधार पंथ के बजाय सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए। भारत की एकता उसकी विविधता में निहित है, परंतु नीति-निर्माण में न्याय, संतुलन और पारदर्शिता अनिवार्य है। अल्पसंख्यक संरक्षण के साथ यह भी जरूरी है कि सरकारी संसाधनों का उपयोग वास्तविक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हो। संतुलित दृष्टिकोण ऐसे राज्य हैं जहां मुस्लिम आबादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है-असम (34.22 प्रतिशत), बंगाल (27.01), केरल (26.56), उत्तर प्रदेश (19.26), बिहार (16.9) और झारखंड (14.53 प्रतिशत)। नया बड़ी आबादी वाले राज्यों में भी मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए?







# सेना जवानों के लिए सोशल मीडिया में ढील देख सकेंगे लेकिन शेयर-लाइक नहीं कर पाएंगे

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए पांच साल बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, लेकिन इस सुविधा के साथ कई सख्त शर्तें भी रखी गई हैं। नई गाइडलाइन के तहत जवान अब इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का लाइक, कमेंट या पोस्ट करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, वॉट्सएप और टेलीग्राम जैसे एप्स पर केवल गैर-गोपनीय जानकारी साझा करने की अनुमति दी गई है। यूट्यूब और X का इस्तेमाल भी केवल सूचना और अपडेट पाने के उद्देश्य से ही किया जा सकेगा। इसके अलावा, लिंबडइन, स्काइप और सिग्नल जैसी एप्स के इस्तेमाल के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस बदलाव से पहले, 2020 में सेना ने सुरक्षा कारणों और संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने की आशंका

के चलते जवानों और अधिकारियों के लिए 89 संदेशवाहक एप्स पर पाबंदी लगा दी थी। इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जूम और पबजी जैसे प्लेटफॉर्म शामिल थे। उस समय सोशल मीडिया के माध्यम से कई हनीट्रैप के मामले सामने आए थे, जिनमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने संवेदनशील जानकारी जुटाने और उसे सीमा पर परेशानियां पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। सेना सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया इस्तेमाल पर यह नया नियम कुछ समय पहले ही लागू किया गया था और अब इसे सभी रैंकों पर लागू किया गया है। सूत्रों ने बताया कि गाइडलाइन में बदलाव के ब्रह्म वजह यह है कि सूचना और डिजिटल दुनिया तेजी से बदल रही है और सेना खुद को इससे दूर नहीं रख सकती। जवान अब सोशल मीडिया के जरिए देश और विदेश में होने



वाली घटनाओं से अपडेट रह सकेंगे, जानकारी देख सकेंगे और जरूरत पड़ने

पर निगरानी रख सकेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक, इंस्टाग्राम

पर जवान सिर्फ सामग्री देख सकते हैं, जबकि लाइक, कमेंट और पोस्ट करने

की अनुमति नहीं होगी। वॉट्सएप, टेलीग्राम और अन्य संदेशवाहक एप्स पर केवल गैर-गोपनीय सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सकेगा। यूट्यूब और X का इस्तेमाल केवल अपडेट और जानकारीयों के लिए किया जाएगा। इस नए नियम का मकसद सैनिकों को सोशल मीडिया के उपयोग में सक्षम बनाना है, लेकिन संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। 2020 में हनीट्रैप और संवेदनशील सूचनाओं के लीक की घटनाओं के चलते सेना ने जवानों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्ती बढ़ा दी थी। अधिकारियों का कहना था कि एप्स के जरिए जुटाई गई सूचनाओं का इस्तेमाल पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन ने सीमा और नियंत्रण रेखा पर लगातार परेशानियां पैदा करने के लिए किया। इसके चलते सेना ने अपने अधिकारियों और जवानों को वॉट्सएप के उपयोग से

बचने की सलाह दी और बाद में सोशल मीडिया एप्स का पूरी तरह से बैन लगा दिया। इस नई गाइडलाइन के लागू होने के साथ ही सेना ने जवानों को यह स्पष्ट कर दिया है कि सोशल मीडिया केवल जानकारी प्राप्त करने और निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, न कि पोस्ट, शेयर या लाइक करने के लिए। इससे जवान डिजिटल दुनिया से जुड़े रहेंगे, लेकिन सुरक्षा और गोपनीयता के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सेना के जवानों को डिजिटल और सूचना के युग में अपडेट रखने के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। इससे सैनिक सोशल मीडिया की दुनिया को समझ सकेंगे और जरूरत

पड़ने पर इसे अपने कामकाज और रणनीति में सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। यह नई गाइडलाइन सेना के जवानों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल का एक नया नजरिया पेश करती है: "देखिए, लेकिन प्रतिक्रिया मत दीजिए।" इस तरह, सेना ने सुरक्षा और डिजिटल पहुंच के बीच संतुलन साधा है, जिससे जवान आधुनिक तकनीक का लाभ उठा सके, लेकिन किसी भी संवेदनशील जानकारी के लीक होने का खतरा न हो। यदि आप चाहें तो मैं इसे और भी लंबा, विस्तृत और न्यूज़पेपर के लिए उपयुक्त कहानी के रूप में तैयार कर दूँ जिसमें 2020 के बैन, हनीट्रैप घटनाओं, सुरक्षा उपायों और जवानों के अनुभव को विस्तार से जोड़कर 800-1000 शब्दों में पेश किया जा सके। क्या मैं ऐसा कर दूँ?

## पश्चिम बंगाल में सियासी समीकरण बदलने की तैयारी: हुमायूं कबीर, औवेसी और पीरजादा बन सकते हैं ममता की चुनौती

(जीएनएस)। नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की सियासी धरती पर इस समय बदलाव की हवा चल रही है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भाजपा के बीच चल रहे कड़े मुकाबले के बीच बागी विधायक हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कबीर ने हाल ही में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन औवेसी और इंडिया सेकुलर फ्रंट (आईएसएफ) के नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से संपर्क साधा है, जिससे संभावित गठजोड़ के जरिए बंगाल में तीसरी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने की राह साफ नजर आने लगी है।

**तीसरी ताकत के रूप में हुमायूं कबीर** पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिलहाल सीधा मुकाबला टीएमसी और भाजपा के बीच है। कांग्रेस और वाम दल लंबे समय से हाशिए पर हैं और उनकी पकड़ कमजोर हो चुकी है। ऐसे में बागी विधायक हुमायूं कबीर खुद को तीसरी विकल्पी शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी पकड़ फिलहाल सीमित क्षेत्रों तक ही है, लेकिन औवेसी और पीरजादा के साथ गठजोड़ होने पर कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं।

**मुस्लिम वोट बैंक में संभावित**



राज्य में करीब 30 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। पिछले चुनावों में औवेसी की पार्टी को बिहार में मिली सफलता से यह संकेत मिला है कि मुस्लिम मतदाता अब एआईएमआईएम को गंभीर विकल्प के रूप में देख रहे हैं। वहीं, आईएसएफ ने भी पिछली बार विधानसभा चुनाव में एक सीट जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। यदि ये तीनों नेता एक मंच पर आते हैं, तो मुस्लिम मतों में आंशिक ध्रुवीकरण हो सकता है। इसका सीधा असर ममता बनर्जी की पार्टी पर पड़ सकता है, खासकर उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है।

**भाजपा की रणनीति और बूथ**

**प्रबंधन** भाजपा ने पिछले चुनावों में बूथ प्रबंधन में आई कमजोरियों से सबक लिया है और इस बार पूरी ताकत बूथ स्तर पर जुटा रही है। पार्टी ने राज्य के करीब 400 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे हर बूथ पर सक्रिय हों और मतदाता तक पार्टी की पहुंच सुनिश्चित करें। केंद्रीय नेतृत्व की बढ़ती सक्रियता और जमीनी संगठन को मजबूत करने की यह रणनीति टीएमसी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है।

**बांग्लादेश और सीमा के मुद्दे का प्रभाव** राज्य में मुस्लिम समुदाय का रुख बांग्लादेश से जुड़े हालात और एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) जैसे मुद्दों

से भी प्रभावित हो सकता है। यदि यह समुदाय सत्ता विरोधी माहौल में गठित तीसरे मोर्चे की ओर झुकता है, तो ममता बनर्जी की स्थिति कमजोर हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हुमायूं कबीर, औवेसी और पीरजादा का गठजोड़ भाजपा के मजबूत बूथ प्रबंधन के साथ मिलकर टीएमसी के लिए गंभीर चुनौती पेश कर सकता है।

**नतीजा और चुनावी दांव** इस संभावित राजनीतिक गठजोड़ से बंगाल के चुनावी समीकरण में कई बदलाव आ सकते हैं। तीसरी ताकत के रूप में उभरते नेताओं और भाजपा की रणनीति का संयुक्त असर यह हो सकता है कि टीएमसी को अब तक मिले मुस्लिम वोटों में संघ लगाई जाए। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ और मजबूत हो सकती है। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल के अगले विधानसभा चुनाव में यह तीन मोर्चा रणनीति निर्णायक भूमिका निभा सकती है। पश्चिम बंगाल की सियासी पटल पर यह बदलाव ममता बनर्जी के लिए चुनौतीपूर्ण है। हुमायूं कबीर, औवेसी और पीरजादा का संभावित गठजोड़ और भाजपा की जमीनी तैयारियां मिलकर राज्य की राजनीति में नया अध्याय लिख सकती हैं, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनावों में साफ दिखाई देगा।

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। 1 जनवरी 2026 से देश किम्बरली प्रक्रिया का अध्यक्ष बनेगा, जो वैश्विक स्तर पर कच्चे हीरों के अवैध और संघर्ष-प्रेरित व्यापार को रोकने के लिए गठित एक प्रमुख पहल है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, भारत 25 दिसंबर 2025 से उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएगा और नए साल की शुरुआत में पूर्ण अध्यक्षता ग्रहण करेगा। यह तीसरी बार होगा जब भारत इस अंतरराष्ट्रीय मंच की अध्यक्षता करेगा, इससे पहले भी भारत ने किम्बरली प्रक्रिया में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाई थी। किम्बरली प्रक्रिया एक त्रिपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है, जिसमें सरकारें, वैश्विक हीरा उद्योग और नागरिक समाज शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विश्व में हीरा व्यापार संघर्ष-प्रेरित समूहों के वित्तपोषण का साधन न बने। इस पहल के तहत केवल प्रमाणित और जिम्मेदार स्रोतों से आए हीरों को ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनुमति मिलती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत पारदर्शिता, निगरानी और डिजिटल



प्रमाणन को बढ़ावा देना हीरा उद्योग के लिए विश्वसनीयता और उपभोक्ता विश्वास सुनिश्चित करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत के चयन से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक समुदाय भारत पर भरोसा करता है और देश हीरा व्यापार में पारदर्शिता

और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारत अपने कार्यकाल में शासन और अनुपालन तंत्र को मजबूत करने, डिजिटल प्रमाणन प्रणाली को लागू करने, हीरों की ट्रैकिंग क्षमता बढ़ाने और डेटा आधारित निगरानी के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष

ध्यान देगा। इसके अलावा भारत संघर्ष-मुक्त हीरों के प्रति उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत करने और जिम्मेदार स्रोतों से हीरा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर काम करेगा। किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन योजना संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत वर्ष 2003 से लागू है। वर्तमान में इस योजना में 60 देश शामिल हैं, जो वैश्विक कच्चे हीरा व्यापार के 99 प्रतिशत से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की अध्यक्षता इस मंच पर न केवल देश की वैश्विक छवि को मजबूत करेगी, बल्कि उपभोक्ताओं और उद्योग के लिए विश्वास और पारदर्शिता भी बढ़ाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के नेतृत्व में हीरा व्यापार की निगरानी और पारदर्शिता में सुधार होगा। डिजिटल ट्रैसेबिलिटी और डेटा आधारित निगरानी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने वाले हीरे संघर्ष या अवैध गतिविधियों से जुड़े न हों। इस पहल के माध्यम से भारत वैश्विक हीरा उद्योग में एक जिम्मेदार और विश्वसनीय नेता के रूप में उभरकर सामने आएगा।

## भ्रामक विज्ञापनों पर विजन आईएस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना, सीसीपीए ने सख्ती दिखाई

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने शैक्षणिक संस्थान विजन आईएस पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर भ्रामक विज्ञापन जारी करने के आरोप में 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। संस्थान ने अपने प्रचार में यह झूठी जानकारी दी कि परीक्षा में टॉप करने वाले सभी छात्रों ने महंगे फाउंडेशन कोर्स में दाखिला लिया था, जबकि वास्तविकता यह थी कि सफल उम्मीदवारों ने विभिन्न

पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना था। इस प्रकार की भ्रामक जानकारी से छात्रों और अभिभावकों में यह धारणा बनी कि महंगे कोर्स में दाखिला लेने से ही सफलता संभव है। सीसीपीए ने इस कार्रवाई को उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत बार-बार उल्लंघन करने वाले संस्थानों के लिए पहला गंभीर उदाहरण बताया। सीसीपीए की मुख्य आयुक्त एवं उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि विजन आईएस ने नियामक चेतावनी के बावजूद नए विज्ञापनों में भी भ्रामक दावे जारी रखे,

जो संस्थान की जिम्मेदारी और नियमों के प्रति गंभीर अवहेलना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह कदम छात्रों की सुरक्षा और उपभोक्ता हित की रक्षा के लिए जरूरी था। भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ निगरानी को और मजबूत करते हुए सीसीपीए ने अब तक कुल 57 शैक्षणिक संस्थानों को नोटिस जारी किया है और 28 संस्थानों पर कुल 1.09 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने विज्ञापनों में सभी जानकारी

सही, पारदर्शी और प्रमाणिक रूप से प्रस्तुत करें, ताकि अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को सही निर्णय लेने में मदद मिल सके और उन्हें भ्रामक प्रचार से बचाया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कार्रवाई से शैक्षणिक संस्थानों के विज्ञापन में पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों को कोर्स चयन में सचेत और सूचित विकल्प लेने का अवसर मिलेगा। यह कदम न केवल छात्रों के हित में है, बल्कि शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और जिम्मेदारी के मानकों को भी मजबूत करेगा।

(जीएनएस)। नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में साइबर अपराधियों ने अलग-अलग तरीकों से चार लोगों को निशाना बनाकर करीब एक करोड़ पांच लाख रुपये से अधिक की ठगी को अंजाम दिया। साइबर अपराधियों ने शेयर ट्रेडिंग, फर्जी लिंक और बिल भुगतान के नाम पर पीड़ितों से रकम हड़पने के मामले को अंजाम दिया, जिससे इलाके में सुरक्षा और वित्तीय सतर्कता की चिंता बढ़ गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी अतुल कुमार जैन को शेयर ट्रेडिंग के बहाने भरी मुनाफे का लालच देकर एक ऑनलाइन ग्रुप में जोड़ा गया। आरोप

है कि उनसे कुल 33 लाख रुपये निवेश कराए गए। निवेश के दौरान एप पर उनकी रकम बढ़ती दिखाई दी, जिससे विश्वास पैदा हुआ। लेकिन जब उन्होंने रकम निकालने की कोशिश की, तो ठगों ने टैक्स और अन्य खामियों के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगे। इस प्रक्रिया में जैन को ठगी का भान हुआ और मामला उजागर हुआ। साइबर अपराधियों ने सेक्टर-36, ग्रेटर नोएडा 65 हजार रुपये निवाल किया। वहीं, जाल में फंसाया। लिंक पर क्लिक करने के तुरंत बाद उनका मोबाइल हैक कर लिया गया और योने एसबीआई एप के जरिए

उनके खाते से 27 लाख रुपये गायब हो गए। इस तरह के डिजिटल हमले ने मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमसागर अपार्टमेंट निवासी राकेश कुमार सिंह को बिजली बिल बकाया होने के नाम पर फोन किया गया। मामूली राशि के भुगतान का बहाना बनाकर ठगों ने उनके और उनकी पत्नी के खातों में लॉग-इन कराया और 23 लाख 50 हजार रुपये निकाल लिए। वहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी अर्पित कुमार गुप्ता को फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 22 लाख 20 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए।

रकम निकालने की कोशिश पर टैक्स के नाम पर अतिरिक्त पैसे मांगे गए, जिससे पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। अपर पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम शैल्य गोयल ने बताया कि सभी मामलों में रिपोर्ट सिफ को हजरत ली गई है। पुलिस साइबर अपराधियों की पहचान और धनराशि की रिकवरी के प्रयास में जुड़ी है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या निवेश प्रस्ताव पर तुरंत विश्वास न करें। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल और ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।

## काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन अस्थायी रूप से बंद, झांकी दर्शन के जरिए श्रद्धालुओं को मिलेगा दर्शन

(जीएनएस)। वाराणसी। काशी की पावन नगरी में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ने नववर्ष और वर्षा के दौरान उगाड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए तीन जनवरी 2026 तक स्पर्श दर्शन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। मंदिर न्यास ने यह निर्णय सुरक्षा और सुव्यवस्थित दर्शन व्यवस्था के उद्देश्य से लिया है। इस अवधि में श्रद्धालुओं को केवल झांकी दर्शन की सुविधा मिलेगी। मंदिर प्रशासन ने बताया कि दिसंबर के अंतिम दिनों और नए साल के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या में तेज वृद्धि होने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस दौरान सभी प्रोटोकॉल और सुगम दर्शन पूर्ववत् जारी रहेंगे। मंदिर में कतारबद्ध व्यवस्था के तहत झांकी दर्शन किया




जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से दर्शन करने

का अवसर मिल सके। मंदिर न्यास ने यह भी कहा कि तीन

जनवरी को श्रद्धालुओं की भीड़ का आकलन किया जाएगा और स्थिति सामान्य होने पर स्पर्श दर्शन पुनः शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के मद्देनजर नंदू फारिया मार्ग पर स्थायी चैकिंग प्वाइंट स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर के प्रवेश द्वारों पर लगेज चैकिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी। वाराणसी में ठंड के मौसम और पर्यटन सीजन के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग काशी भ्रमण के साथ-साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। इस बड़ी हुई भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं और श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करते हुए सहयोग बनाए रखने की अपील की है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि झांकी दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई असुविधा नहीं होगी, और इसे इस अस्थायी व्यवस्था के तहत सुरक्षा और संतुलित प्रवाह बनाए रखने के लिए किया गया है। मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है और आपातकालीन सेवाओं को भी तैयार रखा गया है। इस निर्णय से श्रद्धालुओं को अपने दर्शन की योजना बनाने में मदद मिलेगी और भीड़ के कारण किसी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग काशी भ्रमण के साथ-साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। इस बड़ी हुई भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं और श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करते हुए सहयोग बनाए रखने की अपील की है।

(जीएनएस)। नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत करीब साढ़े चार लाख मतदाता सूची से हटाए जाने की संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन ने बताया कि यह अभियान चार नवंबर से चल रहा है और 26 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इस दौरान 1,868 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं से फॉर्म भरवाने का कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार जिले के कुल 18 लाख 65 हजार 673 मतदाताओं में से अब तक केवल 14 लाख 15 हजार मतदाताओं ने फॉर्म जमा किए हैं, जो कुल का 75.84 प्रतिशत है। शेष मतदाताओं की स्थिति सत्यापित करने के प्रयास जारी हैं। एसआईआर अभियान के आंकड़ों के अनुसार 4 लाख 50 हजार 858 मतदाता संदिग्ध श्रेणी में रखे गए हैं। इसमें कुछ मतदाता अनुपस्थित हैं, कुछ अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं और कुछ की मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन ने बताया कि सात प्रतिशत से अधिक मतदाताओं की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। लगभग 12



प्रतिशत मतदाता अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित हो चुके हैं, जबकि दो प्रतिशत मतदाता की मौत हो चुकी है। बीएलओ द्वारा अंतिम तिथि से पहले इन मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। जिला प्रशासन राजनीतिक दलों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर अधिक से अधिक फॉर्म जमा कराने के प्रयास कर रहा है। विधानसभा क्षेत्रों में संभावित कटौती के आंकड़े भी सामने आए हैं। नोएडा क्षेत्र में यह संख्या 1 लाख 65 हजार 575 (22.78 प्रतिशत) और जेवर विधानसभा क्षेत्र में 74 हजार 404 (20.23 प्रतिशत)

है। जिले के अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना है। अभियान के तहत फॉर्म जमा न कराने वाले मतदाता अपने नाम की पुष्टि कराकर सूची में बने रह सकते हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द फॉर्म जमा कर अपनी वोटिंग क्षमता बनाए रखें। इस विशेष पुनरीक्षण अभियान से आगामी विधानसभा क्षेत्र में करीब 2 लाख 10 हजार 879 मतदाता (27.35 प्रतिशत) की सूची से हट सकते हैं। दादरी विधानसभा क्षेत्र में यह संख्या 1 लाख 65 हजार 575 (22.78 प्रतिशत) और जेवर विधानसभा क्षेत्र में 74 हजार 404 (20.23 प्रतिशत)